भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4844

01 अप्रैल, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष के लिए उत्कृष्टता केंद्र

4844. श्री अर्जुन लाल मीणा:
श्री सी.पी. जोशीः
श्री संगम लाल गुप्ताः

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आयुष के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): आयुष मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2021-22 से आयुर्स्वास्थ्य योजना नामक केंद्रीय क्षेत्रक योजना चला रहा है जिसके दो घटक हैं अर्थात् (i) आयुष और जन स्वास्थ्य (पीएचआई) और (ii) उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)। आयुर्स्वास्थ्य योजना के सीईओ घटक के अंतर्गत, प्रतिष्ठित प्रत्येक संगठन/संस्थान को उनके कार्य और सुविधाएं स्थापित करने तथा उनके उन्नयन और/अथवा आयुष में अनुसंधान और विकास कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस घटक के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

i. सरकार और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में प्रतिष्ठित आयुष और ऐलोपैथी संस्थानों में उन्नत/विशिष्ट आयुष चिकित्सा स्वास्थ्य एकक की स्थापना के लिए सहायता देना।
ii. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं नवाचार और ऐसे अन्य क्षेत्रों में आयुष व्यवसायिकों की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के कार्यों और सुविधाओं दोनों की स्थापना और स्तरोन्नयन के लिए रचनात्मक और नवाचारी प्रस्तावों के लिए सहायता देना।
iii. सुस्थापित भवनों और अवसंरचना वाले प्रतिष्ठित संगठन, जो आयुष चिकित्सा पद्धतियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र के स्तर तक कार्य करने के इच्छुक हैं, को रचनात्मक और नवाचारी प्रस्तावों के लिए सहायता देना।

मंत्रालय द्वारा किसी संगठन/संस्थान को दी जाने वाली अधिकतम अनुमेय अनुदान सहायता 10.00 करोड़ रु है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, आयुष मंत्रालय ने आयुर्स्वास्थ्य योजना के सीईओ घटक के अंतर्गत 12 संगठनों/संस्थानों को 32,75,40,198/-रु. की संचित राशि प्रदान की है।

*****